Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

भागीरथ आदि –बनाम– सरपंच कतरियासर आदि

न0 07/2018

किस्म मुकदमा :– 75 एलआरए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/05/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप कतरियासर पर प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण अनुपस्थित। उतरवादीगण उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 सर्व श्री रामकिशन व बजरंगलाल जो आज कैंप में हाजिर है तथा उनकी पहचान श्री रामदयाल, सरपंच ग्राम पंचायत कतरियासर ने की है, ने निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील को मंजूर किये जाने में उनकी स्वीकारोक्ति है। अतः अपील का तदनुसार निस्तारण फरमाया जावे। अपीलार्थीगण ने यह अपील सरपंच ग्राम पंचायत कतरियासर की आज्ञा दिनांकः शून्य के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुवे इन्तकाल संख्या 62 को गलत व रिकार्ड के विपरीत बताते हुवे प्रस्तुत की है और निवेदन किया है कि इन्तकाल रेस्पोडेंट संख्या 2 रामकिशन के स्थान पर गिरधारी व रेस्पोडेंट संख्या 3 बजरंगलाल के स्थान पर गोपालराम के नामों को गलत रूप से बिना जांच किये अंकित कर दिये गये हैं। अतः आक्षेपित इन्तकाल को उक्त दोनों रेस्पोडेंटान के गलत नामों की हद तक निरस्त फरमाया जावे तथा अपील को मंजूर की जानी चाहिए। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। आराजी खसरा नंबर 53, 54, 69, 70, 194, 195, 495/196 496/068 व 497/66 की कुल 15.90 हैक्टर भूमि जो ग्राम मोलनिया तहसील बीकानेर में स्थित है, के खातेदार तुलछा बेवा गैनाराम, भागुराम, रेवंतराम, ओमप्रकाश, कालूराम पुत्रगण गैनाराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम मोलानिया तहसील बीकानेर थे तथा जिनका बहिब था। जब 1/6 हिस्से के हिस्सेदार रेवंतराम की मृत्यु हुई तो उसकी जायदाद उसके वारिसन उसकी पत्नि मूली देवी व दो पत्र रेस्पो...	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

संख्या 2 व 3 रामकिशन व बजरंग लाल के नाम दर्ज हुई अपीलांटस इसी आदेश से नाराज होकर ही अपील लेकर आये हैं तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के गलत नाम अंकित किये जाने की हद तक इन्तकाल निरस्त कर अपील मंजूर करने का निवेदन किया।

अपीलार्थीगण ने अपने अपील ज्ञापन के साथ भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2017 की अंकतालिका प्रमाण–पत्र व परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट संख्या 2 रामकिशन ने अपना स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील में बल है तथा इस बाबत् जांच आवश्यक हो जाती है। अतः मेरी सुविचारित राय में तहसीलदार, बीकानेर को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के सही नामों की जांच कर बाद जांच इन्तकाल पर कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार बीकानेर को आदेश दिया जाना न्यायोचित आदेश होगा।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित इन्तकाल में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का नाम बजरंगलाल व गोपालराम अंकित कर दिये जाने की हद तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली प्रति प्रेषित कर तहसीलदार, बीकानेर को निर्देश दिये जाते हैं कि ऊपर किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुवे जांच करें। अपीलांटस को सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पुनः लिया जावे। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यवाही यथासंभव 1 माह में पूरी करने का प्रयास करें। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ भिजवायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 29/05/18 को कैंप कतरियासर में सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner